



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 06, 2017/ माघ 17, 1938

No. 34]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 06, 2017/MAGHA 17, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 06 फरवरी, 2017

सं. 56 / 2015-2020

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 में नया उप-पैरा 5.03 (ग) (i) और (ii) जोड़ा जाना और उप-पैरा 5.10 (घ)(ii) में संशोधन।

फा. सं. 18/154/एम 17/पीसी-V.- विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 5.03 और उप-पैरा 5.10 (घ)(ii) में निम्नलिखित संशोधन तत्काल प्रभाव से करते हैं (किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में दिए गए हैं)

2. उप पैरा 5.03(ख) के बाद नया उप-पैरा 5.03(ग) निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है:

"5.03(ग) (i) परिवर्धन (परिवर्धनों)/विलोपन (विलोपनों) सहित आयात मद (मदों) की सूची में संशोधन के लिए आवेदन यदि कोई हो, संबंधित आर ए के पास दिया जाए बशर्ते आयात के लिए प्राधिकार पत्र वैध हो। स्वतंत्र सनदी अभियंता से नए अंतरसंबंध प्रमाणपत्र के साथ आवेदक को ऐसे संशोधन (संशोधनों) की मांग के लिए औचित्य देना होगा।

(ii) परिवर्धन (परिवर्धनों)/विलोपन (विलोपनों) सहित निर्यात मद (मदों) की सूची में संशोधन के लिए आवेदन, यदि कोई हो, संबंधित आर ए के पास दिया जाए बशर्ते प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि वैध है और पूंजीगत माल का अंतरसंबंध मूल निर्यात उत्पाद से है। स्वतंत्र सनदी अभियंता से नए अंतरसंबंध प्रमाणपत्र के साथ आवेदक को ऐसे संशोधन (संशोधनों) की मांग के लिए औचित्य देना होगा।

3. संशोधित उप पैरा 5.10 (घ)(ii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

पैरा 5.10 (घ)(ii): प्राधिकार पत्र धारक के कारखाने से/परिसर से अंतिम निर्यातक/निर्यात के पत्तन को माल प्रेषित किए जाने का प्रमाण अर्थात् (क) पोत लदान बिल संख्या, तिथि तथा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या सहित निर्यात के सत्यापन के सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी किया गया एआरई-1 प्रमाण पत्र **अथवा** (ख) **यदि इकाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत नहीं है तो, बीजक पत्र जिसमें प्रेषण के समय संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की संख्या और तिथि का विधिवत उल्लेख किया गया हो।**

4. **इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :** ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात/निर्यात मदों के संशोधन के लिए प्रावधान को आगे विनिर्दिष्ट करते हुए नए उप पैरा को जोड़ा जा रहा है। तीसरे पक्ष के निर्यात के मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को और अधिक स्पष्ट किया जा रहा है।

ए. के. भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th February, 2017

No. 56 /2015-2020

Subject: Addition of new sub para 5.03(c)(i) and (ii) and amendment in sub para 5.10(d)(ii) of Handbook of Procedures 2015-20.

F. No. 18/154/AM17/PC-V.— In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in para 5.03 and sub para 5.10(d)(ii) of the Handbook of Procedures, 2015-20 with immediate effect. **(changes made are in bold letters)**

2. New sub para 5.03(c) is being added after sub para 5.03(b) as under:

“5.03(c)(i) An application for amendment in the list of import item(s) including addition(s)/deletion(s), if any, may be filed with RA concerned provided the authorisation is valid for import. The applicant would give justification for seeking such amendment(s) along with fresh nexus certificate from an independent Chartered Engineer.

(ii) An application for amendment in the list of export item(s) including addition(s)/deletion(s) if any, may be filed with RA concerned provided the Export Obligation period of the authorisation is valid and the CG has nexus with original export product. The applicant would give justification for seeking such amendment(s) along with fresh nexus certificate from an independent Chartered Engineer.”

3. The amended sub para 5.10(d)(ii) shall read as under:

Para 5.10(d)(ii): *Proof of having despatched the goods from authorization holder’s factory/ premises to the ultimate exporter/port of export viz. (a) ARE-1 Certificate issued by Central Excise with due authentication by the Customs verifying the exports along with the shipping bill number,*

date and EPCG authorization number or (b) Invoice duly incorporating the relevant EPCG authorization number & date at the time of dispatch in case the unit is not registered with Central

Excise.

4. Effect of this Public Notice: A new sub para further specifying the provision for amendment of import/export items under EPCG Scheme is being added. Documents to be submitted in case of third party exports are being further clarified.

A. K. BHALLA, Director General of Foreign Trade